

कार्यालय : नीलिमा देव दत्त, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक : ५६१/२०२६

राजगढ़, दिनांक : 30.06.2026

// कार्यालयीन आदेश //

माह जुलाई 2026 हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ एवं तहसीलों में न्यायालय भवन में समय दोपहर 03:00 से 05:00 बजे के मध्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

जिला मुख्यालय राजगढ़

	नाम	पद	रिमांड ड्यूटी का दिनांक
1.	सुश्री अस्मिता संकट	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई- 12, 26
2.	श्री वीर सिंह धाकड़	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 18, 19
3.	श्री पूर्णांक चौबे	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 4, 5

तहसील ब्यावरा

1.	सुश्री श्रेया शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 4, 5
2.	श्री युवराज दीक्षित	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 18, 19
3.	सुश्री काजल सिंह पटेल	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 12
4.	सुश्री भावना कछावा	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 26

तहसील सारंगपुर

1.	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 18, 19
2.	सुश्री शिवानी सैनी	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 12, 26
3.	सुश्री अश्विनि गहलोत	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 4, 5

तहसील नरसिंहगढ़

1.	श्रीमती मीनू पचोरी दुबे	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 26
2.	सुश्री अदिति अग्रवाल	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 4, 5
3.	सुश्री अदिति मंडलोई	जे.एम.एफ.सी.	माह जुलाई - 12, 18, 19

तहसील जीरापुर

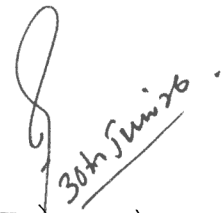
- | | | |
|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | श्री विनोद अहिरवार | जे.एम.एफ.सी. माह जुलाई - 4, 5, 12 |
| 2. | श्री भूपेन्द्र कुशवाह | जे.एम.एफ.सी. माह जुलाई -18, 19, 26 |

तहसील खिलचीपुर

- | | | |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 1. | श्री सचिन साहू | जे.एम.एफ.सी. माह जुलाई - 4, 5, 12 |
| 2. | श्री विवेक शर्मा | जे.एम.एफ.सी. माह जुलाई - 18, 19, 26 |

नोट-

1. मजिस्ट्रेटगण द्वारा अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में इस बात का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे कि चाही गई अवकाश अवधि के दौरान उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है अथवा नहीं।
2. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने पर पदभार मुक्त होने की दशा में अगर पीठासीन अधिकारी के स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसे पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, पदभार मुक्त मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जायेगी। पदभार मुक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने की दशा में मुख्यालय पर उपलब्ध कनिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।
3. सभी मजिस्ट्रेटगण रिमाण्ड ड्यूटी आपस में सामंजस्य कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर समायोजित कर सकेंगे।
4. आकस्मिक रूप से घोषित होने वाले अवकाश में उन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी आकस्मिक घोषित अवकाश के ठीक पूर्व अवकाश में थी। मजिस्ट्रेट यदि चाहें तो इस संबंध में आपस में सामंजस्य स्थापित कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व लिखित सूचना देकर रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे।


(नीलिमा देव दत्त)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक ५६२/२०२६

राजगढ़, दिनांक ३०.०६.२०२६

प्रतिलिपि:—

- ♦ कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- ♦ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- ♦ पुलिस अधीक्षक, जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ♦ जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिमाण्ड ड्यूटी में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
- ♦ अध्यक्ष अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(नीलिमा देव दत्त)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.